न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

अनुसूची-14 फारम : 562

पोती महतो ....प्रथम पक्ष

बनाम्

विश्वेश्वर महतो वगै० ....द्वितीय पक्ष

वाद संख्या....115/21........ धारा....144.........द०प्र०सं०

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश सं० क. ता०...से...तक

जिला...सं०...सन् 20.........

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम सं० और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
15/07/21 C.C. Issued [illegible]	आवेदक/आवेदिका...पोती...महतो............. पिता/पति...स्व० टबलू महतो.........ग्राम...औरा............. थाना.......बगोदर..............जिला.......गिरिडीह......द्वारा द०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा-औरा, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह, 1. खाता सं0-290, प्लॉट नं0-1709, रकवा-26 डी0, चौहद्दी: उ0-गणेश महतो, द0-रूपन मियाँ, हाल चौहद्दी: उ0-बेदो महतो, द0-बाबुजान अंसारी, पू0-डालो कुमारी, प0-श्यामलाल महतो है। 2. मौजा-पोचरी, थाना-बगोदर, खाता सं0-151, प्लॉट सं0-62, रकवा-26 डी0, चौहद्दी: उ0-श्यामलाल महतो, द0-नीज प्रथम पक्ष, पू0-शामलाल महतो, प0-जिवराम महतो। 3. खाता सं0-151, प्लॉट नं0-63, रकवा-03 डी0, चौहद्दी: उ0-बिहार सरकार, द0-नीज, हाल चौहद्दी: उ0-प्लॉट नं0-62 नीज, द0-चुटर रविदास, पू0-बिहार सरकार, प0-जिवराम महतो। 4. खाता सं0-151, प्लॉट नं0-89, रकवा-14 डी0, चौहद्दी: उ0-बिहार सरकार, द0-बिहार सरकार, हाल चौहद्दी: उ0-बिहार सरकार, द0-मथुरा मंडल, पू0-कारू मंडल, प0-नीज। 5. खाता सं0-151, प्लॉट नं0-91, रकवा-27 डी0, चौहद्दी: उ0-सीमाना औरा, द0-बिहार सरकार, हाल चौहद्दी: उ0-सीमाना औरा, द0-बिहार सरकार, पू0-नीज, प0-सीमाना औरा। 6. खाता सं0-152, प्लॉट नं0-105, रकवा-33 डी0, चौहद्दी: उ0-सीमाना औरा, द0-टोको महतो, हाल चौहद्दी: उ0-सीमाना औरा, द0-टोको महतो, पू0-शामलाल महतो, प0-शामलाल महतो।	217 15/07/21

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	7. खाता सं0-152, प्लॉट सं0-65, रकवा-52 डी0, चौहद्दीः उ0-शामलाल महतो, द0-पुरानी परती, हाल चौहद्दीः उ0-शामलाल महतो, द0-चुटर रविदास, पू0-लाखो रविदास, प0-प्लॉट नं0-63। 8. खाता सं0-152, प्लॉट नं0-105, रकवा-33 डी0, चौहद्दीः उ0-सीमा औरा, द0-टोको महतो हाल चौहद्दीः उ0-सीमाना औरा, द0-टोको महतो, पू0-शामलाल महतो, प0-शामलाल महतो। 9. खाता सं0-125, प्लॉट नं0-82, रकवा-68 डी0, चौहद्दीः उ0-पुरानी परती, द0-पुरानी परती हाल चौहद्दीः उ0-बोधी महतो वगै0, द0-मथुरा मंडल, पू0-चुटर रविदास, प0-बिहार सरकार में भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी ......बगोदर......../थाना प्रभारी......बगोदर.........से माँगें। अभिलेख दिनांक......22/07/21..........को उपस्थापित करें। अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया।	
22/07/21	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी / थाना प्रभारी बगोदर से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख 29/07/21 को रखें। 22/07/21 अनु० पदा० बगोदर-सरिया	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28/x/22	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। पुरनागत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में द. प्र. स. की धारा-144 के अंतर्गत वाद प्रारम्भ किया गया। द्वितीय पक्ष के दलील एवं दस्तावेजों के अवलोकन से दखल-कब्जा का निर्धारण करने की आवश्यकता के मद्दे नजर उक्त वाद को अग्रतर सुनवाई हेतु द. प्र. स. की धारा-145 के अंतर्गत परिवर्तित किया गया। द. प्र. स. की धारा-145 के अंतर्गत दखल-कब्जा के निर्धारण हेतु उभय पक्ष नोटिस निर्गत किया गया। द्वितीय पक्ष इस वाद में नोटिस के आलोक में उपस्थित भी हुये, परन्तु बार-बार अवसर देने पर भी उन्होंने लिखित या मौखिक रूप से अपना पक्ष नहीं रखा। फलत: इस वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/ साक्ष्य एवं अभिलेख में	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2 1	2	3
	उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के आलोक में यह आदेश पारित किया जा रहा है। प्रश्नागत भूमि रैयती खाते की है, जिसका विवरण निम्नवत है :—	

क्रम सं०	खतियानी रैयत	मौजा	खाता
(1)	श्याम लाल महतो, वो० डब्लू महतो वो टीको महतो	पोचरी	151
(2)	श्यामलाल महतो, वो बुधन महतो वो टीको महतो वो सुरवन महतो	पोचरी	152
(3)	बुधन महतो वो डब्लु महतो	पोचरी	125
(4)	श्यामलाल महतो टेको महतो, बुधन महतो वो डब्लू महतो	औरा	290

खतियान में उक्त खाता में कब्जाधारी अलग- अलग अंकित है।

उभय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज हैं तथा खतियान में अंकित दखल-कब्जा के आधार पर आपस

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	में विवाद कर रहे हैं, फलतः लोक परिशांति भंग होने की संभावना है।. प्रथम पक्ष के अनुसार डब्लू महतो उर्फ डीलो महतो जो खतियानी रैयत है की मृत्यु के पश्चात् प्रथम पक्ष पुश्तागत जमीन पर कायम काबिज है तथा वर्तमान में भी उनका दखल-कब्जा है। उक्त अभिकथन की पुष्टि हेतु प्रथम पक्ष के द्वारा कुल पांच गवाह प्रस्तुत किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में खतियान की छायाप्रति, एवं राजस्व रसीद की छाया प्रति जो सम्मिलात नाम से निर्गत है दाखिल किया गया है।. गवाह सं०-1 के अनुसार प्रक्रिया की भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल-कब्जा है तथा उन्होंने कभी भी द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा नहीं देखा है।. गवाह सं०-2 के अनुसार वे इस वाद के पक्षकार हैं। प्रक्रिया की	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
4	उनकी खतियान भूमि है, जो खतियान में बुधन महतो, न डबलु महतो, श्याम लाल महतो, टेको महतो, बुधन महतो के नाम से खतियान दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष दखलकार हैं तथा जोत-कोड़ करते आ रहे हैं। गवाह सं०-3 के अनुसार प्रक्रिया की भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल-कब्जा बरकरार है तथा दखल-कब्जा में लेकर जोत-कोड़ करते आ रहे हैं। गवाह सं०-4 एवं सं०-5 के द्वारा भी प्रथम पक्ष के दखल कब्जा को प्रकट किया है। चूँकि द्वितीय पक्ष के द्वारा इस वाद में अपना पक्ष नहीं रखा गया है, अतः द.प्र.सं. की धारा-144 में दाखिल लिखित अभिकथन का अवलोकन किया। द्वितीय पक्ष के अनुसार बुधन महतो एवं डोलो महतो खाता-125, 151, 152 एवं 290 के खतियानी रैयत हैं। सर्वे खतियान में बुधन	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1 5	2	3
	महतो के नाम कब्जाधारी अंकित है। खतियानी रैयत के जीवित रहते उक्त कब्जाधारी पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की।. द्वितीय पक्ष के सदस्यगण खतियानी रैयत बुधन महतो के वंशज है जबकि प्रथम पक्ष जीलो महतो के वंशज है अत: साझा हिस्सेदार हैं। उपर्युक्त विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष के बीच भूमि के हिस्सेदारी को लेकर विवाद है, अत: उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि इस विवाद के निष्पादन हेतु सक्षम न्यायालय में अपनी बात रखें। लोक परिशांति को कायम रखने हेतु प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल-कब्जा सम्पुष्ट करता हूँ। साथ ही यह भी आदेश देता हूँ कि प्रथम पक्ष को उक्त भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
6 1	2	3
	जाये जब तक किसी सक्षम न्यायालय से अन्यथा आदेश पारित न हो। सम्बन्धित पक्षकारों को इस आदेश से अवगत करायें। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। ह० 28/1/22 SDM.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.02.25 15:15:14 +05:30
Location: 192.168.1.7

Scanned with CamScanner